25/10.50

संख्या— — /XXXVI(1)/2017-234/2001

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग—1 देहरादूनः दिनांक 11 अप्रैल, 2017

विषय— मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में न्याय लिपिक संविदा/आउटसोर्सिंग के 09 पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0—398/XXXVI(1)/2016-234/2001 दिनांक 21.09.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0—91/XXXVI(1)/2012-234/2001 दिनांक 26.04.2012 द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में न्याय लिपिक संविदा/आउटसोर्सिंग के सृजित कुल 09 पदों की वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत निरन्तरता दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक बढाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— उक्त पर होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0—04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014—न्याय प्रशासन—00—भारित—102—उच्च न्यायालय—03—उच्च न्यायालय—00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डांला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—01 भारित/XXVII(5)/2017-18 दिनांक 10.04.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या— 1050(1) /XXXVI(1)/2017-234/2001 तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3— वित्त अनुभाग—5/कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4— एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव